# राजस्थान सरकार
# राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान राज्य स्वास्थ्य समिति
# स्वास्थ्य भवन, जयपुर

F.No. F.21(3) /NHM/Deworming/2015/ 6308 Date: 18/1/16

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी,
समस्त जिलें, राजस्थान।

विषय : राष्ट्रीय डिवर्मिंग ड़े के कियान्वयन हेतु जिला औषधी भण्डार (DDWs) से संलग्न सूचीनुसार दवा की मात्रा प्राप्त कर खण्ड स्तर में पहुँचाने बाबत्।

राज्य में पोषण के स्तर को सुधारने एवं कृमि संक्रमण की रोकथाम के लिए आंगनवाडी एवं स्कूल के माध्यम से हर साल कृमि नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जाता है। इसी सम्बन्ध में भारत सरकार के निर्देशानुसार राज्य में दिनांक 10 फरवरी 2016 को राष्ट्रीय डिवर्मिंग डे तथा दिनांक 15 फरवरी 2016 को मोप–अप ड़े आयोजित किया जाना है। कार्यक्रम के दौरान राज्य के एक से छः वर्ष तक के बच्चों को आंगनबाडी के माध्यम से एवं 6 से 19 वर्ष तक के बच्चों को विद्यालयों (सरकारी, निजी, केन्द्रीय, नवोदय विद्यालयों और मदरसों) के माध्यम से दवा दी जानी है। 1 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए दवा जिला औषधी भण्डार तथा 6 से 19 वर्ष के बच्चों के लिए दवा मुख्यालय RCH स्टोर से 10 दिसम्बर से शुरू कर सभी जिलों में पहुंचा दी गई है।

इस सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि जिला स्तर पर संलग्न सूचीनुसार दवाईयों को प्राप्त कर इन दवाइयों को 3 दिवस में संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में पहुँचाना सुनिश्चित करें। ब्लॉकवार प्रशिक्षण दिनांक 19 जनवरी से 31 जनवरी 2016 के मध्य किया जाना प्रस्तावित है। इसके लिये WIFS ट्रान्सपोर्टेशन के लिये जिलों को उपलब्ध कराये गये बजटमद संख्या A.4.3 का उपयेाग किया जा सकता है। उक्त कार्य में इससे भी अधिक बजट की आवश्यकता होने पर DHS Flexi Pool Head से व्यय कर उपयोगिता प्रमाणपत्र (यू.सी.) राज्य कार्यालय में यूनिसेफ से पुर्नभरण हेतु भिजवाना सुनिश्चित करे। राज्य से प्राप्त होने वाली आई.ई.सी. एवं अन्य सामग्री के साथ वितरण से शेष बची दवाईयों को मिलाकर 15 जनवरी 2016 तक BCMO के द्वारा संबंधित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए बताऐ गये प्रशिक्षण स्थान पर पहुँचाना सुनिश्चित करें तथा इसकी पालना रिपोर्ट से अधोहस्ताक्षरकर्ता को एवं इमेल wifs.raj @gmail.com पर अवगत करावें।

(डॉ. वी.के. माथुर)
निदेशक, आर.सी.एच.
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज. जयपुर

प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:–

1. निजी सहायक, मिशन निदेशक, एन.एच.एम. जयपुर।
2. निजी सहायक, निदेशक आर.सी.एच. चिकि. एवं स्वा. सेवाये राज. जयपुर।
3. परियोजना निदेशक, शिशु स्वास्थ्य, चिकि. एवं स्वा. सेवायें राज., जयपुर।
4. नोडल अधिकारी डिवर्मिंग कार्यक्रम, निदेशालय जयपुर।
5. सर्वर रूम/कम्प्यूटर सेल को वास्ते ई–मेल।
6. रक्षित पत्रावली।

निदेशक, आर.सी.एच.
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज. जयपुर